फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

चंपालाल पिता दौला जी गाडरी निवासी भूपालनगर, तहसील भूपालसागर

बनाम

शंकरलाल पिता चंपालाल गाडरी निवासी भूपालनगर, तहसील भूपालसागर वगैरा

प्रकरण संख्या 33/2018 (नि.पं.)

तारीख हुक्म	*हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज*	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.11.22	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता निगराकार आज भी अनुपस्थित। रूक–रूक कर तीन बार आवाजें लगवाई गई फिर भी निगराकार तथा उसके अधिवक्ता में से कोई भी उपस्थित नहीं। अधिवक्ता निगराकार ने प्रकरण प्रस्तुत करने की दिनांक 01.11.2018 के पश्चात् से आदिनांक तक विपक्षीगण की तामील हेतु नोटिस प्रोसेस पेश नहीं किया है। अधिवक्ता निगराकार को नोटिस प्रोसेस पेश करने हेतु दिनांक 03.06.2022 को न्यायहित में अंतिम अवसर दिया गया था फिर भी आदिनांक तक विपक्षीगण की तामील हेतु नोटिस प्रोसेस पेश नहीं किया है तथा प्रकरण में लगातार अनुपस्थित चल रहे हैं। अर्थात् अधिवक्ता निगराकार अपने प्रकरण के प्रति गम्भीर नहीं है। अतः प्रकरण आदेश 09 नियम 05 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत खारिज किया जाता है। विकास अधिकारी पं. स. भूपालसागर को अधीनस्थ ग्राम पंचायत का अभिलेख मय निर्णय की प्रति के प्रेषित किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	